<u>न्यायालय सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाकुरद्वारा।</u>

अनूप सिंह बनाम अज्ञात।

एफ.आर. वाद संख्या–125/12/2019

अपराध संख्या–17/2019

थाना–भगतपुर

<u>15.02.2021</u>

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में कागज सं0–7ख, 14ख एवं 17ख एवं हिन्दी अनुवाद पर सुना जा चुका है। सुविधा की दृष्टि से उपरोक्त तीनों प्रार्थनापत्रों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

प्रार्थनापत्र कागज सं0–7ख पीड़ित की पत्नी एवं प्रार्थनापत्र 14ख द्वारा परिवादी द्वारा प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि मु.अ.सं.–17/2019 अंतर्गत धारा–279,337,338 भा.द. सं. थाना–भगतपुर के मामले में विवेचक द्वारा प्रेषित अंतिम आख्या–20/19 इस न्यायालय के समक्ष लंबित है और विवेचक/जांच अधिकारी उपनिरीक्षक कपिल कुमार द्वारा उक्त एफ.आर. गलत तरीके से प्रस्तुत की है। संबंधित रिपोर्ट पूरी तरीके से धारा–161 सीआर.पी.सी के तहत मौहम्मद जाकिर अली पुत्र श्री रईस के बनाये गये कथन पर आधारित है, जोकि मुजरिम है और वाहन न0–यू.पी.22टी.5192 का चालक और मालिक है। रिपोर्ट में कहीं पर भी पीड़ित व्यक्ति के वाहन के नम्बर का जिक्र नहीं किया गया है, जोकि अर्टिगा वाहन संख्या–यू. के/4/टी.ई.एम.पी/2019/128 है। रिपोर्ट चिकित्सक का बयान, नर्स का बयान और वाहन जो दुर्घटना में शामिल थे उनको यात्रिक निरीक्षण, रक्त का नमूना परीक्षण, कार चालक और ट्रक चालन का दुर्घटना स्थल का तस्वीर व वीडियोंग्राफी के बारे में कुछ नहीं बताती है। रिपोर्ट में कहीं पर भी दुर्घटना में शामिल वाहनों को जब्त होने का जिक्र नहीं करती है और उसमें उन वाहनों को छुटवाने का भी कोई जिक्र नहीं है। रिपोर्ट बिना कार चालक के बयान की है। रिपोर्ट में गलत तरीके से अब्दुल कादिर मौहम्मद आशिफ और मौहम्मद आजम को चक्षु साक्षी माना है जबकि ये सारे दुर्घटना के दौरान सोये हुए थे। चक्षु साक्षी सुदीप रावत और अनूप सिंह के बयानों को नजर अंदाज किया गया है। अर्टिका कार चालक के विरोध कोई शिकायत दर्ज नहीं है। अतः बिना ट्रक जांच के ये कैसे मान लिया कि उसने शराब, का सेवन किया था, वाहन चालकों का नियमों का पालन नहीं किया और न ही कोई एफ.आई.आर दर्ज है। ट्रक चालक बिना लाईसेंस के ट्रक चला रहा था और ड्राइविंग लाईसेंस रिकोर्ड पर नहीं है। ट्रक चालन नसे में धुत्त था इसलिए मदद करने की बजाए वो वहां से भाग गया। जनता की पिटाई करने का भय आक्रोष जैसा बहाना ठीक नहीं है। दूसरा, ट्रक वाहन चालक का अपने बचाव में ये कहना कि चालक का काफी नुकसान और चोट लगी है। अतः उसने कार चालक के विरोध कोई शिकायत नहीं करायी, इस तरह का बयान ट्रक चालक को दोषमुक्त नहीं करता है। ट्रक की गति 150 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर अधिक भारयुक्त थी जबकि अर्टिगा कार चालक खड़ा होकर ट्रक के जाने का इंतजार कर रहा था, लेकिन ट्रक से बाई ओर से कार को जोरदार टक्कर मारी और घुम कर ट्रक के टकराई और सड़क के दूसरी ओर

जाकर पोल से टकराई। कार वाहन नशे में धुत्त नहीं था और यह बयान चिकित्सक की रिपोर्ट से नष्ट किया जाता है। अतः सुने–सुनाये कथनों पर विश्वास करना गलत है। निरीक्षक अधिकारी ने अपने अंतिम रिपोर्ट में कभी भी शराब की बोतलों को प्रस्तुत नहीं किया है, न ही कोई ब्रान्ड बताया है और न ही कोई संख्या बतायी है। नक्शे में जो माग दर्शाए गये है वों दोनों की मुख्य मार्ग है। यह कहना गलत है कि एक मुख्य मार्ग पर था और दूसरा लिंक मार्ग पर। दोनों मार्गों की चौढ़ाई बराबर है। निरीक्षक अधिकारी ने कोई भी ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि जो मुख्य मार्ग या लिंक मार्ग के बारे में दर्शाता हो। निरीक्षक अधिकारी और ट्रक वाहन चालक की आपस में साठं–गांठ है। अतः अंतिम रिपोर्ट गलत मकसद से प्रस्तुत की है और एफ.आई.आर को रद्द करके पीड़ित व्यक्ति को बेसहारा छोड़ दिया है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं कारणों के आधार पर पुलिस द्वारा प्रेषित एफ.आर. दिनांक 09.05.2019 निरस्त फरमाकर मुल्जिमान को तलब किये जाने की याचना की है।

पीड़िता द्वारा प्रार्थनापत्र 17ख/1ता2 मय शपथपत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि ट्रक वाहन चालक ने दिनांक 01.01.19 को समय लगभग 03.00 बजे ए.एम स्थान डूंगरपुर चौक मुरादाबाद में बुरे तरीके से श्री प्रताप सिंह को सड़क दुर्घटना में घायल कर दिया। ट्रक चालक आरोपित मौहम्मद जाकिर ने बड़ी तेज गति से और गलत तरीके से और लापरवाही से मारूती अर्टिगा को नजर अंदाज करके उस कार पर जोरदार टक्कर मारी। उपरोक्त केस अभी क्लोजर रिपोर्ट के मंजरी पर लंबित है। पीड़ित और शिकायतकर्ता दोनों ने विरोध याचिका दायर की है। विरोध याचिका का इस प्रस्तुत दरखास्त में कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे अपराधी दोषमुक्त करार दिया जाता है। अन्य तथ्यों को यहां पर विस्तार से नहीं बताया गया है। पीड़ित व्यक्ति का परिवार पूर्णतः कार चालक पर निर्भर है और उनका आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं है। आज तक पीड़ित के परिवारजनों को कही से कोई राहत नहीं मिली है। अतः उत्तर प्रदेश पीड़ित को डी.एल.एस.ए. व उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना से मुआवजा दिलाने की याचना की गयी है।

विवेचक ने प्रेषित अंतिम आख्या में यह कथन किया है कि तमामी विवेचना बयान वादी व गवाहन, बयान चक्षुदर्शी गवाहन व घटनास्थल निरीक्षण आदि से तथ्य सामने आये है कि मुकदमा उपरोक्त में ट्रक सं0–यू.पी.22टी.5192 का चालक जाकिर अली पुत्र श्री रईस निवासी मकान नं0–127 ग्राम सिकन्दरावाद थाना टांडा रामपुर मुख्य मार्ग मुरादाबाद टाण्डा रोड पर आ रहा था। जबकि वादी अपनी गाड़ी से लिंक मार्ग दल्पतपुर काशीपुर रोड पर था। लिक मांर्ग से आने वाले वाहन की जिम्मेदारी होती है कि मुख्य मार्ग खाली मिलने पर रास्ता क्रस करे, परन्तु वादी ने बिना सड़क नियमों का पालन करते अपनी गाड़ी तेजी से चलाकर उक्त वाहन के बीच में डीजल टैंक में टक्कर मारी थी जो सरासर वादी की वाहन चालक की गलती है तथा आसपास के स्वतंत्र गवाहों के बयानों के आधार पर अर्टिगा गाड़ी चालक नशे की हालत में था। मुकदमा उपरोक्त में ट्रक उपरोक्त सं0 के चालक मौ0 जाकिर अली पुत्र श्री रईस निवसी मकान नं0–127 सिकन्दरावाद टांडा रामपुर के अंतर्गत धारा–279,337,338 भा0दं0सं0 का जुर्म

साबित नहीं होता है। अतः विवेचना अतिम रिपोर्ट सं0–20/19 समाप्त कर स्वीकार किये जाने की याचना की है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पीड़िता एवं वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में दिये गये तथ्यों, प्रस्तुत प्रपत्रों एवं बयानात के अवलोकन से मेरे मतानुसार तथा उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थतियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र अग्रिम विवेचना हेतु भेजी जानी युक्तियुक्त प्रतीत होती है एवं प्रार्थनापत्र 17ख में क्षतिपूर्ति जहां तक का प्रश्न है, इस स्तर पर उक्त प्रार्थनापत्र पोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र 17ख स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

<u>आदेश</u>

एफ.आर. (अंतिम आख्या) सं.–20/2019 मु.अ.सं.–17/19 अन्तर्गत धारा–279,337,338 भा.द.सं. थाना–भगतपुर निरस्त की जाती है। विवेचक को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त प्रकरण में युक्तियुक्त तरीके से अग्रिम विवेचना करे एवं प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 17ख खारिज किया जाता है।

सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
ठाकुरद्वारा।

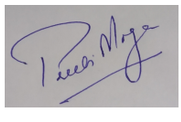

Digitally signed by Preeti Moga
Date: 2021.02.16 18:03:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court